# कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

## लोकसभा निर्वाचन 2019–मतगणना

## //प्रेस–नोट//

लोकसभा निर्वाचन 2019 में 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना दिनांक 23 मई 2019 को 51 जिला मुख्यालयों पर स्थित 51 मतगणना केन्द्रों पर की जाएगी । शान्तिपूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से मतगणना सम्पन्न कराने हेतु जिलों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गयी हैं ।

**मतगणना हॉल –**

लोकसभा निर्वाचन की मतगणना 51 जिला मुख्यालयों पर बनाये गये 51 मतगणना स्थलों पर कुल 292 मतगणना कक्षों में सम्पन्न होगी । 19 मतगणना स्थलों पर अधिक डाक मतपत्र होने के कारण उनकी मतगणना हेतु आयोग से अनुमोदन उपरान्त पृथक कक्ष बनाये गये हैं ।

**मतगणना टेबिल –**

EVM मतों की मतगणना हेतु कुल 292 कक्ष बनाये गये है। जिनमें 124 कक्ष में 7 टेबिल, 164 कक्ष में 14 टेबिल एवं 4 कक्ष में 21 टेबिल (कटनी जिले में) लगायी गई है। पोस्टल बैलेट की गणना हेतु बनाये गये 19 मतगणना कक्षों सहित कुल 311 कक्षों में कुल 3409 टेबल लगाई गई है जिन्हें जाली की बेरिकेट्स द्वारा कव्हर किया गया है।

**मतगणना प्रारंभ होने का समय –**

मतगणना प्रातः 8:00 बजे प्रारंभ होगी। आयोग के नवीनतम निर्देशों के अन्तर्गत जिस मतगणना कक्ष में डाक मतपत्रों की गणना होगी केवल वहाँ पर EVM में दर्ज मतों की गणना डाक मतपत्रों की गणना प्रारंभ होने के 30 मिनिट पश्चात प्रारंभ की जायेगी। शेष मतगणना कक्षों में EVM की मतगणना निर्धारित समय 8:00 बजे से प्रारंभ होगी।

**पोस्टल बैलेट की गणना –**

पोस्टल बैलेट की गणना रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय के 29 मतगणना स्थलों पर की जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर स्तर पर पोस्टल बैलेट की गणना हेतु 19 पृथक कक्ष बनाये गये हैं। इन कक्षों में पृथक से नियुक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे जो पोस्टल बैलेट की गणना करेंगे।

**VVPAT की पर्चीयों की गणना –**

सभी मशीनों EVM मशीनों की मतगणना पूर्ण होने के उपरान्त प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 VVPAT को रेण्डम पद्धति से चुना जाकर उनकी पर्चीयों की गणना की जायेगी। इन पाँच VVPAT की पर्चियों की गणना क्रमबद्ध तरीके से (one by one) की जायेगी।

**मतगणना कर्मी –**

मतगणना हेतु 913 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाये गये है प्रत्येक मतगणना टेबिल पर 1 मतगणना सुपरवाईजर, 1 मतगणना सहायक, 1 माइक्रोआर्बजरवर एवं 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किया गया है। मतगणना हेतु कुल 15000 कर्मचारी मतगणना कार्य हेतु नियुक्त किये गये हैं।

**सुरक्षा व्यवस्था –**

मतगणना स्थल पर त्रि–चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थल पर आने वाले कर्मचारियों, मतगणना अभिकर्ताओं एवं मतगणना से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं में नियुक्त किये गये सभी व्यक्तियों को जाँच उपरान्त ही मतगणना स्थल में प्रवेश दिया जायेगा। सुरक्षा व्यवस्था हेतु समस्त मतगणना स्थल पर कुल 9000 सुरक्षा कर्मी तैनात किये गये है।

**मतगणना स्थल पर CCTV की व्यवस्था –**

मतगणना परिसर, स्ट्रॉग रूम से मतगणना कक्ष तक EVM मशीन के लाने–ले जाने वाले मार्ग एवं मतगणना कक्ष में कुल 1800 CCTV कैमरे लगाये गये है। इनमें 3 कैमरे मतगणना कक्ष में न्यूनतम 10 कैमरे EVM मशीन के परिवहन मार्ग में एवं 5 कैमरे मतगणना स्थल परिसर की निगरानी हेतु लगाये गये है। यह कैमरे Wire द्वारा कंट्रोल रूम से कनेक्ट होंगे। मतगणना की वेबकॉस्टिंग नहीं की जायेगी ना ही मतगणना स्थल पर Wi-Fi का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

**मतगणना के परिणाम का प्रसारण –**

मतगणना के प्रत्येक चरण के परिणामों की जानकारी प्रत्येक मतगणना कक्ष में लगाये गये बोर्ड पर अंकित की जायेगी साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की सुविधा पोर्टल में दर्ज किया जायेगा। मतगणना के परिणामों की जानकारी Voter Helpline Mobile App से प्राप्त की जा सकती है जो Playstore एवं App store पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

**मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु निर्देश :–**

**मतगणना कर्मी –**

मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु प्रत्येक मतगणना कर्मी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र होना अनिवार्य है। यह प्रवेश पत्र संबंधित मतगणना कर्मी प्रदर्शित करेगा। मतगणना कर्मी मतगणना स्थल पर मोबाईल, केल्कुलेटर एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। जिन अधिकारी/कर्मचारियों को ETPBS की गणना हेतु OTP प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है, केवल उन्हीं अधिकारियों को मोबाईल ले जाने की छूट होगी। अधिकारी OTP प्राप्त करने के पश्चात अपना मोबाईल Observer को सुपूर्द करेगा।

. मतगणना अभिकर्ता –

मतगणना स्थल पर निर्वाचन अभिकर्ताओं के बैठने हेतु आयोग द्वारा क्रम निर्धारित किया गया है। सभी मतगणना अभिकर्ता मतगणना कक्ष में लगायी गई जाली के बाहर बैठेंगे बैठने के क्रम में सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अभिकर्ता, इसके पश्चात अन्य राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभिकर्ता, तत्पश्चात पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभिकर्ता तथा अन्त में निर्दलीय उम्मीदवारों के अभिकर्ता बैठेंगे। मतगणना कक्ष में प्रवेश हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र होना अनिवार्य है, बिना प्रवेश पत्र के मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मतगणना स्थल पर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस, मोबाईल, कैमरा, डिजीटल पेन कैमरा, केल्कुलेटर, आदि प्रतिबंधित है। मतगणना अभिकर्ता मतगणना कक्ष में अपने टेबिल को छोड़कर अन्य टेबिलों पर नहीं जायेंगे।

**अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता –**

मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को अधिकृत प्रवेश पत्र के साथ प्रवेश करने की अनुमति होगी किन्तु एक समय में अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता में से कोई एक ही मतगणना स्थल में उपस्थित रह सकेगा। अभ्यर्थी एवं अभिकर्ता को मतगणना टेबिलों पर भ्रमण की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी एवं अभिकर्ता जाली के बाहर मतगणना अभिकर्ताओं के लिये बनाये गये बैठक स्थल पर भ्रमण कर सकेंगे।

**मीडिया कर्मियों के लिये व्यवस्था –**

मतगणना स्थल पर केवल पासधारी मीडिया कर्मी ही प्रवेश कर सकेंगे। मीडिया कर्मियों को समाचार जारी करने हेतु मतगणना स्थल पर मीडिया कक्ष बनाया गया है। सभी मीडिया कर्मी मीडिया कक्ष में बैठेंगे, जहाँ उन्हें चक्रवार परिणामों से अवगत कराया जायेगा। मीडिया कक्ष में इन्टरनेट, टेलीफोन आदि की व्यवस्था रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पासधारी मीडिया कर्मियों को छोटे–छोटे ग्रुप में मतगणना कक्षों का भ्रमण कराया जायेगा। मतगणना कक्ष में केवल कैमरा ले जाने की ही अनुमति होगी।